न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10 सहारनपुर।

*****

[उपस्थित–(Sanjay Kumar–V)...........(H.J.S), J.O. Code– UP1773]

UPSP010089692018

सत्र परीक्षण संख्या– 289 सन 2018

उ.प्र.राज्य

...अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. जहाँगीर पुत्र जाहिद निवासी ग्राम मानकमऊ थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
2. इकराम पुत्र अख्तर निवासी इन्द्रा चौक मंसूर कालोनी 62 फुटा रोड थाना मण्डी, सहारनपुर।
3. मुसर्रफ पुत्र सद्दीक निवासी मौहल्ला चाहा मंजिल थाना व कस्बा नानौता जिला सहारनपुर। (कार्यवाही उपशमित दिनांकित 17.10.2023)

...अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–329/2015
अन्तर्गत धारा– 399, 402 भारतीय दंड संहिता
थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर।

वाद मेमो–

सूचनाकर्ता	उपनिरीक्षक मोहित तोमर
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री मौ० युसूफ व श्री फूल कुमार
घटना दिनाँक	18.12.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनाँक	19.12.2015
आरोप–पत्र प्रसंज्ञान दिनाँक	17.02.2016
आरोप विरचित करने का दिनाँक	29.06.2018
साक्ष्य अभिलेखन आरम्भ करने का दिनाँक	18.11.2023
अंतिम तर्क सुनने एवं निर्णय घोषित करने के	07.08.2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या–10 सहारनपुर।

सत्र परीक्षण संख्या– 289 सन 2018, राज्य बनाम जहाँगीर आदि। CNR –**UPSP010089692018**

सत्र परीक्षण संख्या– 290 सन 2018, राज्य बनाम सोहन (सोहनपाल)। CNR – **UPSP010089712018**

सत्र परीक्षण संख्या– 291 सन 2018, राज्य बनाम जहाँगीर आदि। CNR – **UPSP010089702018**

लिए प्रकरण आरक्षित करने का दिनाँक	
निर्णय घोषित दिनाँक	20.08.2026
दण्डादेश यदि कोई हो, पारित करने का दिनाँक	

अभियुक्तगण के संबंध में संक्षिप्त विवरण–

क्र.सं.	नाम अभियुक्त	व्यवसाय	आरोपित अपराध
1.	जहाँगीर	दूध का काम	धारा– 399 व 402 भारतीय दंड संहिता
2.	इकराम	बर्तनों की दुकान	धारा– 399 व 402 भारतीय दंड संहिता
3.	मुशर्रफ (मृतक)	---	धारा– 399 व 402 भारतीय दंड संहिता

UPSP010089712018

सत्र वाद संख्या– 290 सन 2018

उ.प्र.राज्य

...अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. सोहन (सोहनपाल) पुत्र काला निवासी दाबकी गुजरा, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।

...अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या– 329/2015
अन्तर्गत धारा– 399, 402 भारतीय दंड संहिता
थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर।

वाद मेमो–

सूचनाकर्ता	उपनिरीक्षक मोहित तोमर
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री के०के० जायसवाल

घटना दिनाँक	18.12.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनाँक	19.12.2015
आरोप–पत्र प्रसंज्ञान दिनाँक	24.02.2016
आरोप विरचित करने का दिनाँक	29.06.2018
साक्ष्य अभिलेखन आरम्भ करने का दिनाँक	18.11.2023
अंतिम तर्क सुनने एवं निर्णय घोषित करने के लिए प्रकरण आरक्षित करने का दिनाँक	07.08.2026
निर्णय घोषित दिनाँक	20.08.2026
दण्डादेश यदि कोई हो, पारित करने का दिनाँक	

अभियुक्त के संबंध में संक्षिप्त विवरण–

क्र.सं.	नाम अभियुक्त	व्यवसाय	आरोपित अपराध
1.	सोहन (सोहनपाल)	ड्राईवर	धारा– 392 भारतीय दंड संहिता

UPSP010089702018

सत्र वाद संख्या– 291 सन 2018

उ.प्र.राज्य

...अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. जहाँगीर पुत्र जाहिद निवासी ग्राम मानकमऊ थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
2. इकराम पुत्र अख्तर निवासी इन्द्रा चौक मंसूर कालोनी 62 फुटा रोड थाना मण्डी, सहारनपुर।
3. सोहन (सोहनपाल) पुत्र काला निवासी दाबकी गुजरा, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।

...अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या– 334/2015
अन्तर्गत धारा– 414 भारतीय दण्ड संहिता

थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर।

वाद मेमो–

सूचनाकर्ता	उपनिरीक्षक मोहित तोमर
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री मौ० यूसुफ, श्री फूल कुमार, श्री के०के० जायसवाल
घटना दिनाँक	18.12.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनाँक	19.12.2015
आरोप–पत्र प्रसंज्ञान दिनाँक	17.02.2016
आरोप विरचित करने का दिनाँक	29.06.2018
साक्ष्य अभिलेखन आरम्भ करने का दिनाँक	18.11.2023
अंतिम तर्क सुनने एवं निर्णय घोषित करने के लिए प्रकरण आरक्षित करने का दिनाँक	07.08.2026
निर्णय घोषित दिनाँक	20.08.2026
दण्डादेश यदि कोई हो, पारित करने का दिनाँक	

अभियुक्तगण के संबंध में संक्षिप्त विवरण–

क्र.सं.	नाम अभियुक्त	व्यवसाय	आरोपित अपराध
1.	जहाँगीर	दूध का काम	धारा– 414 भारतीय दण्ड संहिता
2.	इकराम	बर्तनों की दुकान	धारा– 414 भारतीय दण्ड संहिता
3.	सोहन (सोहनपाल)पाल	ड्राईवर	धारा– 414 भारतीय दण्ड संहिता

सत्र वाद संख्या– 289 सन 2018 को अग्रणी वाद मानकर उक्त समस्त वादों के सापेक्ष अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची–

क– अभियोजन साक्षीगण

साक्षी सं०	साक्षी का नाम	साक्षी की भूमिका
1.	हैड कांस्टेबल महेश कुमार	एफ.आई.आर. लेखक
2.	हैड कांस्टेबल हसन जावेद जैदी	तथ्य का साक्षी

3.	उपनिरीक्षक चन्द्रवीर सिंह	तथ्य का साक्षी
4.	निरीक्षक मोहित तोमर	वादी मुकदमा
5.	निरीक्षक सुदेश कुमार	विवेचक

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज साबित कराये गये हैं–

प्रदर्श संख्या	**प्रदर्श का विवरण**	**साक्षी संख्या**
प्रदर्श क–1	चिक FIR (मु.अ.सं. 329/15)	पी.डब्लू.–1
प्रदर्श क–2	चिक FIR मु.अ.सं. 334/15 (ST No. 291/18)	पी.डब्लू.–1
प्रदर्श क–3	प्रमाणित प्रति जी०डी० सं.2 (ST No. 291/18)	पी.डब्लू.–1
प्रदर्श क–4	मूल फर्द बरामदगी का.सं. 5 क/1 ता 5 क/2	पी.डब्लू.–3
प्रदर्श क–5	नक्शा–नजरी का.सं. 7 क	पी.डब्लू.–4
प्रदर्श क–6	आरोप पत्र का.सं. 3 क/1 ता 3 क/12	पी.डब्लू.–4
वस्तु प्रदर्श 1	पुलिंदा कपडा	पी.डब्लू.–4
वस्तु प्रदर्श 2	तमंचा	पी.डब्लू.–4
वस्तु प्रदर्श 3	कारतूस	पी.डब्लू.–4
वस्तु प्रदर्श 4	कपडा पुलिन्दा	पी.डब्लू.–4
वस्तु प्रदर्श 5	चाकू	पी.डब्लू.–4
वस्तु प्रदर्श 6	कपडा	पी.डब्लू.–4
वस्तु प्रदर्श 7	चाकू	पी.डब्लू.–4
वस्तु प्रदर्श 8	कपडा पुलिन्दा	पी.डब्लू.–2
वस्तु प्रदर्श 9	पोनिया बन्दूक	पी.डब्लू.–2
वस्तु प्रदर्श 10	कारतूस	पी.डब्लू.–2

ख– बचाव साक्षीगण

साक्षी सं.	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**	**प्रपत्र**	**प्रदर्श संख्या**
निल	निल	निल	निल	निल

ग– न्यायालयीन साक्षीगण

साक्षी सं.	साक्षी का नाम	प्रपत्र	प्रदर्श संख्या

निर्णय

सत्र परीक्षण संख्या– 289 सन 2018, राज्य बनाम जहाँगीर आदि, सत्र परीक्षण संख्या– 290 सन 2018, राज्य बनाम सोहन (सोहनपाल) तथा सत्र परीक्षण संख्या– 291 सन 2018, राज्य बनाम जहाँगीर आदि एक ही घटना से सम्बन्धित है, इसलिए उपरोक्त समस्त वादों का विचारण एक साथ किया गया है। सत्र परीक्षण संख्या– 289 सन 2018 में पारित आदेश दिनाँकित 18.11.2023 से उक्त समस्त सत्र परीक्षण को समेकित करते हुए सत्र परीक्षण संख्या– 289 सन 2018 को अग्रणी वाद बनाया गया है।

सत्र परीक्षण संख्या– 289 सन 2018, राज्य बनाम जहाँगीर आदि में अभियुक्त मुशर्रफ की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 17.10.2023 को उपशमित की गयी है।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनाँकित 20.04.2026 के अनुपालन में पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

आरोप परिचयः–

1. सत्र परीक्षण संख्या– 289 सन 2018 में अभियुक्तगण जहाँगीर, इकराम तथा मुशर्रफ (मृतक) के विरुद्ध विद्वान विचारण न्यायालय ने कमिटल आदेश दिनाँकित 21.05.2018 द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया। तदोपरान्त दिनाँक 29.06.2018 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा– 399, 402 भारतीय दंड संहिता में आरोप विरचित किया गया।

2. सत्र परीक्षण संख्या– 290 सन 2018 में अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय ने कमिटल आदेश दिनाँकित 21.05.2018 द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया। तदोपरान्त दिनाँक 29.06.2018 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा– 399, 402 भारतीय दंड संहिता में आरोप विरचित किया गया।

3. सत्र परीक्षण संख्या– 291 सन 2018 में अभियुक्तगण जहाँगीर, इकराम तथा सोहन (सोहनपाल) के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय ने कमिटल आदेश दिनाँकित 21.05.2018 द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया। तदोपरान्त दिनाँक 29.06.2018 को अभियुक्तगण **जहाँगीर, इकराम** तथा **सोहन (सोहनपाल)पाल** के विरुद्ध धारा– 414 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किया गया।

अभियोजन कथानकः–

4. अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक मोहित तोमर, थाना चिलकाना, सहारनपुर की ओर से थानाध्यक्ष, थाना चिलकाना, सहारनपुर को एक फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–4** मुख्यतः इस आशय की दी गयी है कि, "दिनाँक 18/12/15 को मैं

एस०आई० मोहित तोमर मय का0 61 राजमोहन का0 803 हसन जावेद का0 2022 विनीत कुमार का0 43 कुलवीर का0 1547 चन्द्रवीर के थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 18 समय 16.00 बजे रवाना होकर वस्ते देखरेख शांति व्यवस्था व रोकथाम अपराध में इलाका मामूर थे जब हम लोग सुल्तानपुर बाईपास पर पहुँचे तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जैन भट्टा व कालू माजरा के बीच में बंद पडे भट्टे के पास बने खण्डहर में बैठे लूट की योजना बना रहे है इस सूचना पर निश्वास करके आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर यकीन किया कि किसी के पास कोई अपराध सम्बन्धी वस्तु नहीं है। उसके बाद मुखबिर को साथ लेकर दुबे पाव घटनास्थल की ओर चल दिये बंद पडे भट्टे के खुदान के अन्त में पहुँचकर मुखबिर ने इशारा करके बताया कि सामने जो खण्डहर नुमा कमरे दिखायी दे रहे है लुटेरो का गिरोह इसी में बैठा है। मुखबिर चला गया। हम लोगों ने बिना आहट किये खाली खेत से होते हुऐ खण्डहर की दक्षिण दिशा में खड़े खडे पैडो पेडो की की आड से छिपकर सुना कि खण्डहर के अंदर कुछ व्यक्तियो के बोलने की आवाज आ रही है तथा आपस में बात कर रहे हैं कि ग्राम कालू माजरा में करेशन का मकान गाँव के बाहर और इसके घर पर माल भी ठीक मिलेगा आज इसी के यहाँ डकैती डालते है इन लोगो की बात सुनकर हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। कां0 61 राजमोहन व विनीत को अपने साथ रखकर बाकी लोगो को उत्तर दिशा से घेरने के लिये कहा गया तथा इशारा पाते ही दोनो टीमे एक साथ खण्डहर के अन्दर घुस गये हम लोगो को आहट पाकर इनमें से 02 व्यक्ति चकरोड से होते हुऐ कालू माजरा की ओर भाग जिनके पीछे का० हसन जावेद, चन्द्रवीर व कुलबीर दौडे तथा मौके पर 03 व्यक्तियो को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड लिया तथा भागे हुऐ व्यक्तियो में से 01 व्यक्ति पेडो से टकराकर गिर पड़ा, जिसे का० हसन जावेद व कुलवीर आदि पकडकर वही खण्डहर पर ले आये तथा भागने में सफल हुऐ व्यक्ति के बारे में बताया कि उसे टार्च की रोशनी में हम लोगो ने अच्छी तरह पहचाना है जो ग्राम दाबकी गुज्जर का सोहन (सोहनपाल) पुत्र काला बाल्मिकी है, जिसे हम पहले से से अच्छी तरह जानते पहचानते है पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुऐ जामा तलाशी ली गयी तो 01 ने अपना नाम जहाँगीर पुत्र जाहिद निवासी ग्राम मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर बताया जामा तलाशी में जिसके हाथ से 01 पौनीया बंदुक 12 बोर जिसकी कुल लम्बाई 03 बालिस्त 05 अंगुल, नाल लोहा 02 बालिस्त अंगुल, बाडी 08 अंगुल, बट 07 अंगुल नाल को खोलने व बन्द करने के लिये ट्रेगर के पास एक पत्ती लगी है तथा उपर हैमर लगा है। नाल के नीचे लगी लकडी पर काले रंग की चेप लगी है तथा पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से 01 अदद कारतूस 12 बोर जिस पर AMMUNITION FAOTORI KHADKY लिखा बरामद हुआ है तथा दूसरे ने अपना नाम इकराम पुत्र अख्तर निवासी इन्दा चौक मंसूर कालोनी 62 फुटा रोड स०पुर थाना मंडी जनपद सहारनपुर बताया तथा जामा तलाशी में इसके कब्जे से से 01 अदद तंमचा 12 बोर देशी जिसकी कुल लम्बाई 01 बालिस्त 01 अंगुल नाल लोहा करीब 01 बालिस्त बाडी करीव 07 अंगुल बट 07 अंगुल बट पर दोनो तरफ लकडी की चाप लगी है खोलने व बन्द करने के लिये दाहिनी तरफ लोहे की पती लगी है नीचे ट्रेगर व ऊपर हैमर लगा है बरामद हुआ तथा पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से 01 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर जिस पर AMMUNITOIN FAOTORI KHADKY लिखा बरामद हुआ तीसरे ने अपना नाम नौशाद पुत्र इरशाद निवासी मौ० चाहा मंजली कस्बा व थाना ननौता जिला सहारनपुर

बताया, जिसके पहनी पैन्ट के सुड्डे से 01 अदद चाकू लोहा लम्बाई करीब 01 बालिस्त 05 अंगुल फल लोहा करीब 10 अंगुल बैटा करीब 11 अंगुल खोलने व बन्द करने के लिये पीतल की पत्ती लगी है, बरामद हुआ तथा चौथे ने अपना नाम मुर्सरफ पुत्र सद्दीक निवासी मौ० चाहा मंजली कस्वा व थाना नानौता जिला सहारनपुर बताया जामा तलाशी में इसके पहनी पैन्ट के सुड्डे से जिसकी कुल 01 बालिस्त 05 अंगुल फल लोहा करीब 10 अंगुल बैटा मछलीनुमा 11 अंगुल खोलने व बन्द करने के लिये पीतल की पत्ती लगी है। अभियुक्तगण से अवैध अस्लाह व गैर टाईम गैर महफूज जगह इकट्ठा होने का कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। शक्ति से पूछने पर बताया कि हम लोगो के पास खर्चा नही था इसलिये हमलोग ग्राम कालूमाजरा में करेशन के यहाँ डकैती डालने के लिये इकट्ठा हुऐ थे इन लोगो का यह कृत्य भा०दि०वि० की धारा 399/402 के अन्तर्गत दण्डनीय है अतः इन्हे इनके जुर्म से अवगत कराकर समय करीब 10.15 बजे रात्री नियमानुसार हिरासत पुलिस लिया गया खण्डहर के बाहर बड़ी 02 मोटर साईकिल व 01 स्कूटी के बारे में पूछा तथा कागजात तलब किये तो दिखाने से कासिर रहे शक्ति से पूछने पर बताया कि सहाब जो नीले रंग की स्पलैण्डर मोटर साईकिल है ये हमने जिसमें इकराम, जहाँगीर, व सोहन (सोहनपाल) शामिल थे करीब 10–12 दिन पहले ग्राम सीकरी कलां के जंगल से 01 व्यक्ति डरा धमकाकर छीनी थी तथा दूसरी मोटर साईकिल व स्कूटी सोहन (सोहनपाल) की है। चैक करने पर नीले रंग की स्पैन्लण्डर प्लस मोटर साईकिल पर कोई नम्बर प्लेट नहीं है तथा पीछे ट्रैक्टर जैसा टायर डला है, जिसका इंजन न0 HA10EAA9D22443 तथा चैसिस न0 MBLHA10EJA9012251 तथा दूसरी मोटर साईकिल स्पलैन्डर रंग काला, जिस पर नारंगी रंग की पट्टी बनी है, जिसके पीछे लगी नं0 प्लेट पर HR01 G3158 नम्बर लिखा है, जिसका इंजन नं0 01 A18M06337 है तथा चैसिस नं0 01A20C06608 है तथा स्कूटी HONDA COY रंग सलेटी ACTIVA की नम्बर प्लेट पर HP 18B 2368 लिखा है। काफी उलट–पुलट कर देखने पर इंजन नं० व चैसिस न० की जानकारी नहीं हो सकी। बरामद नीले रंग की स्पलैण्डर प्लस मोटरसाईकिल जो अभियुक्तगण ने सीकरी कला के पास से लूटने की बात बताई है, के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0 अ0 सं0 316/15 धारा 392 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना मेरे द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त मोटर साईकिल थाना हाजा के उक्त अभियोग का माल मुकदमाती है तथा दुसरी मोटर साईकिल व स्कूटी को धारा 41/102 CRPC व 414 IPC के अन्तर्गत कब्जे पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराया गया तथा बरामद बंदूक व तंमचा व चाकूओं को अलग 2 कपडे में रखकर सील कर सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। अभियुक्त जहाँगीर व इकराम से बरामद बंदूक व तमंचा शस्त्र अधि० की धारा 25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा अभियुक्त नौशाद व मुर्सरफ से बरामद चाकू शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। फर्द मौके पर मुझ उ०नि० द्वारा टार्च की रोशनी में लिखकर पढकर हमराही कर्मगण को सुनाकर हस्ताक्षर कराये गये। मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों–निर्देशों का पुर्णतया पालन करते हुऐ गिरफ्तारी प्रपत्र व सूचना प्रपत्र तैयार किया गया गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुँचकर उचित माध्यम से दी जायेगी फर्द की एक नकल सभी की सहमति से स्वामिक रुप से अभि० जहाँगीर को दी गयी तथा अभियुक्तगण के अलाहमात बनवाये गये।

पुलिस कार्यवाहीः–

5. तहरीर/प्रार्थनापत्र **प्रदर्श क–4** के अनुक्रम में पुलिस थाना चिलकाना में तैनात सी०सी० 947 महेस कुमार द्वारा अभियुक्तगण **जहाँगीर, इकराम, नौशाद, मुर्सरफ** तथा **सोहन (सोहनपाल)** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 329 सन् 2015, अन्तर्गत धारा –399, 402 भारतीय दंड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट चिक **प्रदर्श क–1** अंकित की गयी तथा मामले का इन्द्राज जी०डी० में किया गया। तत्पश्चात मामले में विवेचना कर अभियुक्तगण **जहाँगीर, इकराम, नौशाद** तथा **मुर्सरफ** के विरुद्ध अंतर्गत धारा–399,402 भारतीय दंड संहिता में आरोप–पत्र **प्रदर्श क–6** एवं अभियुक्त **सोहन (सोहनपाल)** के विरूद्ध अंतर्गत धारा–399,402 भारतीय दंड संहिता में आरोप–पत्र **प्रदर्श क–7** विद्वान अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

6. इसी प्रकार तहरीर/प्रार्थनापत्र **प्रदर्श क–4** के अनुक्रम में पुलिस थाना चिलकाना में तैनात सी०सी० 947 महेश कुमार द्वारा अभियुक्तगण **जहाँगीर, इकराम, नौशाद, मुर्सरफ** तथा **सोहन (सोहनपाल)** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 334 सन् 2015, अन्तर्गत धारा – 41,102 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा धारा–414 भारतीय दंड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट चिक **प्रदर्श क–2** अंकित की गयी तथा मामले का इन्द्राज जी०डी० में किया गया। तत्पश्चात मामले में विवेचना कर अभियुक्तगण **जहाँगीर, इकराम, नौशाद, मुर्सरफ** तथा **नौशाद** के विरुद्ध अंतर्गत धारा–41,102 दण्ड प्रक्रिया संहिता व धारा–414 भारतीय दंड संहिता में आरोप–पत्र **प्रदर्श क–8** विद्वान अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा कृत कार्यवाहीः–

7. मुकदमा अपराध संख्या– 329 सन् 2015 में अभियुक्तगण **जहाँगीर, इकराम, नौशाद, मुर्सरफ** तथा **सोहन (सोहनपाल)** के विरुद्ध प्रेषित आरोप–पत्रों अंतर्गत धारा–399,402 भारतीय दंड संहिता पर तत्कालीन विद्वान विचारण द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त नौशाद के काफी समय से गैर हाजिर होने के कारण उसकी पत्रावली अन्य अभियुक्तगण से पृथक की गयी तथा विद्वान न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज (सी०डि०)/ ए०सी०जे०एम० द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 21.05.2018 द्वारा प्रकरणों को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया।

8. मुकदमा अपराध संख्या– 334 सन् 2015 में अभियुक्तगण **जहाँगीर, इकराम, नौशाद, मुर्सरफ** तथा **नौशाद** के विरुद्ध प्रेषित आरोपपत्र अंतर्गत धारा–41,102 दण्ड प्रक्रिया संहिता व धारा– 414 भारतीय दंड संहिता पर तत्कालीन विद्वान विचारण द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त नौशाद के काफी समय से गैर हाजिर होने के कारण उसकी पत्रावली अन्य अभियुक्तगण से पृथक की गयी तथा विद्वान न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम० द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 21.05.2018 द्वारा प्रकरण को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया।

9. मुकदमा अपराध संख्या–329 सन् 2015 में अभियुक्तगण **जहाँगीर, इकराम,** तथा **मुर्सरफ** के विरुद्ध प्रेषित आरोप–पत्र संख्या– 31/16 दिनांकित 29.01.2016, अन्तर्गत धारा– 399,402 भारतीय दंड संहिता को सत्र परीक्षण संख्या– 289 सन

2018 राज्य बनाम जहाँगीर आदि (अग्रणी वाद) के रूप में तथा अभियुक्त **सोहन (सोहनपाल)** के विरुद्ध प्रेषित आरोप–पत्र संख्या– 31 ए/16 दिनांकित 07.02.2016, अन्तर्गत धारा– 399, 402 भारतीय दंड संहिता को सत्र परीक्षण संख्या– 290 सन 2018 राज्य बनाम सोहन (सोहनपाल) के रूप में दर्ज किया गया।

10. मुकदमा अपराध संख्या– 334 सन् 2015 में अभियुक्तगण जहाँगीर, इकराम, मुर्सरफ तथा सोहन (सोहनपाल)पाल के विरुद्ध प्रेषित आरोपपत्र संख्या–53/16 अंतर्गत धारा–41, 102 दण्ड प्रक्रिया संहिता व धारा– 414 भारतीय दंड संहिता को सत्र परीक्षण संख्या– 290 सन 2018, राज्य बनाम जहाँगीर आदि के रूप में दर्ज किया गया।

11. सत्र परीक्षण संख्या– 289 सन 2018 में अभियुक्तगण जहाँगीर, इकराम तथा मुशर्रफ के विरुद्ध दिनाँक 29.06.2018 को अंतर्गत धारा– 399, 402 भारतीय दंड संहिता में आरोप विरचित किया गया।

12. सत्र परीक्षण संख्या– 290 सन 2018 में अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) के विरूद्ध दिनाँक 29.06.2018 को अंतर्गत धारा– 399, 402 भारतीय दंड संहिता में आरोप विरचित किया गया।

13. सत्र परीक्षण संख्या– 291 सन 2018 में अभियुक्तगण जहाँगीर, इकराम तथा सोहन (सोहनपाल)पाल के विरूद्ध दिनाँक 29.06.2018 को अंतर्गत धारा– 414 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किया गया।

14. विरचित आरोपों पर अभियुक्तगण का यह अभिवाक रहा कि उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया तथा परीक्षण किए जाने का निवेदन किया।

15. सत्र परीक्षण संख्या– 289 सन 2018, राज्य बनाम जहाँगीर आदि में अभियुक्त मुशर्रफ की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 17.10.2023 को उपशमित की गयी है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनाँकित 20.04.2026 के अनुपालन में पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

16. दौरान विचारण अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में कुल **05** साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं, जिनका विवरण ऊपर सारणी में अंकित है।

17. प्रस्तुत प्रकरण में दंड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा–313 के अंतर्गत अभियुक्तगण का परीक्षण दिनाँक 03.02.2026 को अभिलिखित किया गया। परीक्षण में अभियुक्तगण ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व तथ्यों से इंकार किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में सफाई–साक्ष्य देने का कथन करते हुये यह कथन किया गया है कि घर से उठा झूठा फंसाया गया है। कोई बरामदगी नहीं हुई है। कुल कार्यवाही थाने पर बैठकर की गयी।

18. आदेश पत्रिका दिनांकित 24.02.2026 पर अभियुक्तगण की ओर से पृष्ठांकन किया गया है कि अभियुक्तगण को सफाई–साक्ष्य नहीं देना है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की मुख्य परीक्षा साक्ष्य निम्नवत है तथा साक्षीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए कथनों का विश्लेषण यथोचित स्थान पर किया जाएगा–

19. **पी०डब्लू०1– हे.कां. श्री महेश कुमार** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 18.12.2015 को मैं थाना चिलकाना जिला सहारनपुर पर कां. क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन मैं रात्रि ड्यूटी पर तैनात था, तथा मेरी ड्यूटी रात्रि 8.00 बजे से दिनांक 19.12.2015 को सुबह 8.00 बजे तक थाना कार्यालय में कार्यलेख पर थी। दिनांक 19.12.15 को समय 1.40 बजे वादी मुकदमा एस.आई. मोहित तोमर की गिरफ्तारी अभियुक्तगण व बरामदगी व फर्द बरामदगी के आधार पर मेरे द्वारा थाने पर मु.अ.सं. 329/2015 धारा 3969, 402 आई.पी.सी. बनाम जहांगीर आदि मु.अ.सं. 330/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम जहांगीर तथा मु.अ.सं. 331/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम नौशाद, मु.अ.सं. 333/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मुशर्रफ तथा मु.अ.सं. 334/2015 धारा 41/102 सी.आर.पी.सी. व धारा 414 आई.पी.सी. बनाम जहांगीर आदि पंजीकृत किये थे। इन मुकदमो की कायमी का खुलासा मेरे द्वारा उसी दिनांक 19.12.2015 की जी.डी. नं. 2 समय 1.40 बजे में किया गया था। पत्रावली पर संलग्न कागज सं. 4क/1 ता 4क/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यही एफ.आई.आर. मेरे द्वारा मु.अ.सं. 329/15 के संबंध में कंप्यूटर पर टाईप कर तैयार की गई थी। इसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। संलग्न पत्रावली एस.टी.नं. 291/18 राज्य बनाम जहांगीर आदि धारा 41/102 सी.आर.पी.सी. व 414 सी.आर.पी.सी. पर उपलब्ध मूल एफ.आई.आर. मेरे द्वारा मु.अ.सं. 334/2015 की कायमी के संबंध में कंप्यूटर पर तैयार की गयी थी। इसकीभी मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। संलग्न पत्रावली एस.टी. नं. 291/18 पर उपलब्ध कागज सं. 7क/19 का 7क/20 थाने द्वारा प्रमाणित प्रति जी.डी. दिनांकी 19.12.2015 जी.डी. नं. 2 समय 1.40 बजे को देखकर गवाह ने कहा कि यह जी.डी. उसी मूल की प्रमाणित छायाप्रति प्रति है जो मैंने उक्त मुकदमो की कायमी कायमी व वादी मुकदमा मय हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्तगण गिरफ्तारशुदा व माल मुकदमा के वापसी के संबंध में अपने लेख में तैयार की थी। यह असल की ही प्रति है। इसे अपने हस्ताक्षर से आज प्रमाणित कर शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। मूल जी.डी. 5 वर्ष समयावधि पूर्ण होने के कारण वर्तमान में नियमानुसार विनिष्ट की जा चुकी है।

20. **पी०डब्लू०2– हे.कां. जावेद जैदी** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 18.12.2015 को मैं थाना चिलकाना सहारनपुर पर बतौर कां. तैनात था। उस दिन मैं एस.आई. मोहित तोमर, कां. राजमोहन, कां. विनित, कां. कुलवीर, कां. चन्द्रवीर के साथ हमराह होकर थाने से जी.डी. नं. 18 समय 16.00 बजे रवाना होकर थाना क्षेत्र में देखरेख शांति व्यवस्था व रोकथाम अपराध में मामूर होकर गश्त करते हुए सुल्तानपुर बाईपास पर पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग जैन भट्टा व कालू माजरा के बीच में बंद पड़े भट्टे के खण्डहर में बैठे लूट की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर यकीन कर हम ने एक–दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि हम में से किसी के पास अपराध से संबंधित वस्तु नहीं है। उसके बाद मुखबिर के साथ उसके बताये स्थान की तरफ दबे पांव चल दिये। जब हम बंद पड़े भट्टे के खुदान के अंत में पहुंचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि जो सामने खण्डहरनुमा कमरे दिखाई दे रहे हैं। इसी के अंदर लुटेरो का गिरोह बैठा है, बताकर मुखबिर चला गया। तब हमने खाली खेत से

होते हुए खण्डहर के दक्षिण दिशा में खड़े पेड़ो की आड़ में छिपकर हमने सुना कि खण्डहर के अंदर से कुछ आदमियों के बोलने की आवाज आ रही है। जो आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि गांव कालू माजरा में करेशन का मकान गांव के बाहर हैं, इस मकान में माल भी ठीक मिलेगा। आज इसी के यहाँ डकैती डालते हैं। इनलोगों की बात सुनकर हमें यकीन हो गया है कि ये लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। तब एस.आई. मोहित ने कां. राजमोहन व कां. विनीत को अपने साथ रखा तथा शेष हम सिपाहियों को उत्तर दिशा मे घेरने के लिये कहा, दो टीम बनाई। इशारा पाकर हम दोनो टीमें खण्डहर के अंदर घुंस गई। हम लोगो की आहट पाकर दो व्यक्ति गांव कालू माजरा की ओर भाग लिये। जिनका पीछा मैंने व कां. चन्द्रवीर व कुलवीर ने किया। भागे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पेड़ से टकराकर गिर पड़ा, जिसे हम लोग पकड़कर वही खण्डहर पर ले आये। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। जिसे टार्च की रोशनी में हम पुलिस वालो ने अच्छी तरह पहचाना जिसे सोहन (सोहनपाल) पुत्र काला बाल्मीकि निवासी दाबकी गुज्जर जिसे हम पहले से अच्छी तरह जानते थे। शेष अन्य तीन अभियुक्तों को दरोगा जी व राजमोहन व विनीत ने खण्डहर में ही पकड़ लिया था। पकड़े गये व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम जहांगीर पुत्र जाहिद निवासी गांव मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर बताया। उसकी जामा तलाशी में उसके हाथ से एक पोनिया बन्दूक देशी 12 बोर तथा पहनी पैंट की दाहिनी जेब से एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम इकराम पुत्र अख्तर निवासी इन्द्रा चौक मन्सूर कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर बताया। इसकी जामा तलाशी से इसके कब्जे से एक देशी तमन्चा 12 बोर तथा पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये तीसरे ने अपना नाम नौशाद पुत्र इरशाद निवासी मौ० चाह मंजिली कस्बा व थाना नानौता सहारनपुर बताया। इसकी जामा तलाशी में पहनी पैन्ट के सुड्डे से एक अदद चाकू लोहे का, खोलने बंद करने के लिये पीतल की बत्ती लगा, बरामद हुआ। पकड़े गये चौथे व्यक्ति ने अपना नाम मुशर्रफ पुत्र सद्दीक निवासी मौहल्ला चाहमंजिली, कस्बा व थाना नानौता सहारनपुर बताया। इसके भी पहनी पैन्ट के सुड्डे से चाकू मछलीनुमा, खोलने बंद करने की पत्ती लग, बरामद हुआ। उपरोक्त बरामद बन्दूक, तमन्चे व चाकुओ का हूलिया व माप का इन्द्राज फर्द में दरोगा जी मोहित तोमर द्वारा किया गया था। पकड़े गये अभियुक्तगण से पूछताछ अवैध असलाह रखने व गैर समय उस स्थान पर इक्ट्ठा होने का कारण पूछा तो उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाये । बाद में बताया कि हमारे पास खर्चे के पैसे नहीं है। इसलिए उपरोक्त करेशन के यहाँ डकैती डालने के लिए इक्ट्ठा हुए थे। इन लोगो को उनके जुर्म व धारा से अवगत कराकर दोरगा जी द्वारा समय करीब 10.15 बजे रात्रि नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा खण्डहर के बाहर खड़े दो मोटर साईकिल व स्कूटी के बारे में पूछते हुए कागज तलब किये तो कागज नहीं दिखा सके। बताया कि जो नीले रंग की स्पैलैण्डर है, उसको हमने जिसमें इकराम, सोहन (सोहनपाल) व जहांगीर शामिल थे, करीब 10–12 दिन पहले ग्राम सीकरी कला के जंगल से एक व्यक्ति को डरा धमकाकर छीना था तथा दूसरी मोटर साईकिल पर नम्बर प्लेट नहीं थी। उसका इंजन नंबर व चैसिस नंबर चैक करके फर्द में लिखा था। दूसरी स्पलैण्डर मोटर साईकिल रंग काला तथा एक सलेटी कलर का एक्टिवा स्कूटी जिसके नंबर प्लेट पर लिखे नंबर का इन्द्राज दरोगा द्वारा फर्द में किया गया था। एक्टिवा का

इंजन नंबर व चैसिस नंबर की जानकारी नहीं हो सकी थी। दूसरी स्पलैण्डर का इंजन नंबर व चैसिस नंबर फर्द में अकित किया था। बरामद उपरोक्त नीले रंग की स्पलैण्डर मोटर साईकिल के संबंध में थाना चिलकाना पर मु.अ.सं. 316/15 धारा 392 आई.पी.सी. बनाम अज्ञात पंजीकृत था। जिसकी विवेचना एस.आई. मोहित तोमर द्वारा ही की जा रही थी। इसलिए बरामद मोटर साईकिल उक्त, उस मुकदमे की माल मुकदमाती थी। दूसरी मोटर साईकिल व स्कूटी को भी कब्जे में लिया गया था। बरामदा बन्दूक, तमन्चे व चाकूओ व कारतूसो को अभियुक्तवार बरामदगी अनुसार कपड़ों में रखकर अलग–अलग सील सर्वे मुहर करते हुए नमूने मुहर मौके पर तैयार की गई। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी व सूचना प्रपत्र टार्च की रोशनी में एस.आई. मोहित तोमर द्वारा लिखकर तैयार किये गये तथा पढ़कर सुनाकर उन पर हम पुलिस वालो के हस्ताक्षर कराये गये थे तथा फर्द की प्रति सभी अभियुक्तगण की सहमति से उन सभी की मौजूदगी में अभियुक्त जहांगी को देकर, जहांगीर के भी हस्ताक्षर फर्द पर कराये थे। पत्रावली पर मूल फर्द बरामदगी कागज सं. 5क/1 ता 5क/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यही फर्द एस.आई. मोहित तोमर द्वारा मौके पर तैयार की गई थी। उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। मैं शिनाख्त करता हूँ। बाद कार्यवाही मौके से गिरफ्तारीशुदा अभियुक्तगण बरामदा माल मुकमदा व तैयार प्रपत्रों को थाने लाकर एस.आई. मोहित तोमर द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध बरामदगी अनुसार अभियोग पंजीकृत कराये गये थे। इस केस का माल मुकदमा एक सील सर्वे मुहर कपड़े पुलिन्दे में माननीय न्यायालय में मेरे सामने है। कपड़े पुलिन्दे के ऊपर मु.अ.सं. 330/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर बनाम जहांगीर लिखा है। इसके नीचे अभियुक्त जहांगीर के हस्ताक्षर हैं। मेरे हमराह एस.आई. मोहित के हस्ताक्षर है। जिसके नीचे दिनांक 18.12.2015 अंकित है। मा० न्यायालय की अनुमति से सील कपड़ा पुलिन्दा, सील हटाकर खोला गया। उसके अंदर से एक पोनिया बन्दूक 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर निकले। जिन्हे देखकर गवाह ने कहा कि यही बन्दूक व कारतूस अभियुक्त जहांगीर से गिरफ्तारी के समय बरामद हुए थे। जिन्हें दरोगा जी मोहित तोमर द्वारा इसी कपड़े पुलिन्दे में मौके पर सील सर्वे मुहर किया था। इनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। कपड़े पुलिन्दे पर **वस्तु प्रदर्श–8**, पोनिया बन्दूक पर **वस्तु प्रदर्श–9** और कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–10** डाला गया।

21. **पी०डब्लू० 3– एस.आई. चन्द्रवीर सिंह** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 18.12.2015 को मैं थाना चिलकाना जिला सहारनपुर पर बतौर कां. 1547 तैनात था। उस दिन मैं एस.आई. मोहित तोमर, कां. हसन जावेद, कां. राजमोहन, कां. विनीत व कुलबीर के साथ हमराह होकर मैं थाने से जी.डी. नं. 18 समय 16.00 बजे रवाना होकर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था ड्यूटी व रोकथाम अपराध में मामूर होककर गश्त पर थे। जब हम लोग सुल्तानपुर बाईपास पर पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जैन भट्टा व कालू माजरा के बीच में बंद पड़े खण्डहर भट्टा में बैठे हुए लूट डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर हम वहां पहुंचे, हमारे साथ मुखबिर भी था। बंद पड़े भट्टे के खुदान के अंत में पहुंच कर मुखबिर ने इशारे से बताया कि सामने खण्डहरनुमा कमरे जो दिखायी दे रहे हैं उन्हीं में कुछ लोग बाते कर रहे हैं जो लूटेरो का गिरोह है। बताकर मुखबिर चला गया। तब हमने चुपचाप दक्षिण दिशा की तरप से खाली खेत से होते हुए, खण्डहर के पास खड़े पेड़ो की आड़ में छिपकर सुना। खण्डहर के अंदर बैठे

लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ग्राम कालू माजरा में करेशन के यहां डकैती डालते हैं, योजना बता रहे थे। इनकी बात सुनकर हमे विश्वास हो गया कि ये लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। तब दरोगा जी मोहित तोमर द्वारा कां. राजमोहन व विनीत को अपने साथ रखकर शेष हम अन्य पुलिसवालो को दूसरी दिशा से पुनः बदमाशों को घेरने को कहा। हम दोनो टीमे एक साथ खण्डहर में घुस गये। आहट सुनकर दो व्यक्ति कालू माजरा की ओर भाग लिये। जिनका पीछा मैंने तथा कां. जावेद हसन व कुलबीर ने किया। जिनमें से एक आदमी पड़े से टकराकर गिर गया दूसरा भाग गया, नहीं पकड़ा जा सका। पकड़े व्यक्ति को हम खण्डहर में लेकर आये। जहाँ दरोगा जी व दूसरी टीम द्वारा तीन अन्य व्यक्तियों को पकड़ा हुआ था। भागने वाले व्यक्ति का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फिर कहा कि उसका नाम सोहन (सोहनपाल) था जो जिला सहारनपुर का ही रहने वाला है। शेष अभियुक्तगण जो पकड़े गये थे उनमें से एक ने अपना नाम जहांगीर जो जिला सहारनपुर का रहने वाला है। जहांगीर से 12 बोर की पोनिया बन्दूक तलाशी लेने पर मिली थी। एक खोखा कारतूस 12 बोर का मिला था। फिर कहा कि कारतूस खोखा नहीं जिन्दा था। बरामद हुए थे। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम इकराम बताया उसकी जामा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर मिला था तथा एक जिन्दा कारतूस 12 बोर मिला था। तीसरे ने अपना नाम नौशाद बताया था। इससे चाकू मिला था। चौथे ने अपना नाम मुशर्रफ बताया था, इसकी जामा तलाशी में एक चाकू मिला था। तथा वहीं पास में ही खड़ी दो मीटर साईकिल व एक स्कूटी मिली थी। इन्होंने पूछने पर बताया था कि एक मोटर साईकिल हमने सीकरी कला के जंगल से एक व्यक्ति से छीनी थी। दूसरी मोटर साईकिल व स्कूटी के बारे में इन्होंने भागे हुए मुलजिम सोहन (सोहनपाल) की होना बताया था। इन व्यक्तियों ने पूछने पर कि इस समय यहाँ क्यों इक्ट्ठा हो तो बताया था कि गांव कालू माजरा के करेशन के यहाँ डकैती डालने के लिये इकट्ठा हुए थे, योजना बना रहे थे। इस पर पकड़े गये अभियुक्तगण उपरोक्त को उनके जुर्म धारा से अवगत कराकर नियमानुसार समय करीब 10.15 बजे रात्रि हिरासत पुलिस लिया गया। बरामद असलाह व मोटर साईकिल व स्कूटर का हूलिया व उनके नम्बरों का इन्द्राज दरोगी जी द्वारा फर्द में किया गया था। मोटर साईकिलों के संबंध में अन्य क्या पूछताछ हुई थी मेरी ध्यान नहीं है। अभियुक्तगण से बरामद बन्दूक, तमन्चा व चाकुओं को अभियुक्तवार, बरामदगीनुसार अलग–अलग कारतूसों सहित अलग–अलग कपड़ों में सील सर्वे मुहर कर नमूने मुहर तैयार किये गये थे तथा गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर दरोगा जी मोहित तोमर द्वारा तैयार कर उस पर भी गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण व हम हमराहीगण के भी हस्ताक्षर कराये थे। फर्द बरामदगी दरोगी जी मोहित तोमर द्वारा टार्चो की रोशनी में लिखकर तैयार कर, पढ़कर सुनाकर उस पर भी हम हमराह पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर कराते हुए फर्द की कार्बन प्रति सभी अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त जहांगीर को देकर उनके भी हस्ताक्षर फर्द पर कराये थे। पत्रावली पर संलग्न मूल फर्द बरामदगी कागज सं. 5क/1 ता 5क/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यही फर्द मौके पर एस.आई. मोहित तोमर द्वारा तैयार की गई थी। इस पर मेरे भी हस्ताक्षर है। मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। बाद कार्यवाही मौके से गिरफ्तार अभियुक्तगण, बरामदा माल मुकदमा व प्रपत्रों को थाने लाकर दरोगा जी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध बरामदगी अनुसार अभियोग पंजीकृत

कराये गये थे।

22. **पी०डब्लू०4– एस.आई. मोहित तोमर** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 18.12.2015 को मैं थाना चिलकाना सहारनपुर पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मैं अपने साथ कां. राजमोहन, कां. हसन जावेद, कां. विनीत कुमार, कां. कुलबीर व कां. चन्द्रवीर को हमराह लेकर थाने से रपट न. 18 समय 16.00 बजे रवाना होकर वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था व रोकथाम अपराध में थाना क्षेत्र में मामूर थे। जब हम लोग सुल्तानपुर बाईपास पर पहुंचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जैन भट्टा व कालू माजरा के बीच में बंद पड़े भट्टे के पास बने खण्डर में बैठे हुए लूट की योजना बना रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वालों ने मुखबिर सहित एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि इनमे से किसी के पास कोई जुर्म से संबंधित वस्तु नहीं है और मुखबिर के साथ उसके बताये स्थान की ओर चल दिये। भट्टे के बन्द पड़े खुदान के अन्त में पहुंचकर मुखबिर ने सामने खण्डहरनुमा कमरे की ओर इशारा करके बताया कि लुटेरों का गिरोह इसी खण्डहर में बैठा हुआ है। बताकर मुखबिर चला गया। तब हम पुलिसवाले दबे पांव खाली खेत से होते हुए उस खण्डहर के दक्षिण दिशा में खड़े पेडों की आड़ में छिपकर देखा व सुना कि खण्डहर के अन्दर कुछ व्यक्तियों के बोलने की आवाज आ रही थी जो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि गांव कालू माजरा में करेशन का मकान गांव के बाहर है और इसके घर पर माल भी ठीक मिलेगा। आज इसी के यहाँ डकैती डालते हैं। इन लोगो की बात सुनकर विश्वास हो गया कि ये लोग डकैती की योजना बना रहे हैं, इस पर मैंने कां. राजमोहन व विनीत को अपने साथ रखकर शेष पुलिसकर्मियों को खण्डहर में बैठे व्यक्तियों को उत्तर दिशा से घेरने के लिये कहा और इशारा कर दोनो टीमो ने एक साथ उस खण्डहर के अन्दर घुंस गये। हम लोगों के आहट की आवाज सुनकर उन बदमाशों में दो बदमाश चकरोड से होते हुए गांव कालू माजरा की ओर भाग लिये जिनका पीछा कां. हसन जावेद व कां. चन्द्रवीर व कां. कुलवीर ने किया और तीन व्यक्तियों को हमने मौके पर खण्डहर के अन्दर पकड़ लिया। भागे हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पेड़ो से टकराकर गिर पड़ा। एक भाग गया पकड़ा नहीं जा सका। पकड़े गये उस एक व्यक्ति को कां. हसन जावेद व कुलबीर व चन्द्रवीर पकड़कर वहीं खण्डहर पर ले आये और बताया कि मौके से भाग गये व्यक्ति को हमने टार्च की रोशनी में अच्छी तरह से देखा व पहचाना है। वह गांव दाबकी गुज्जर का रनहे वाला सोहन (सोहनपाल) पुत्र काला बाल्मीकि है जिसे हम पहले से जानते व पहचानते थे। पकड़े गये व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उनमें से एक ने अपना नाम जहांगीर पुत्र जाहिर निवासी ग्राम मानकमऊ थाना कुतुबशेर, सहारनपुर बताया। इसकी जामा तलाशी में इसके हाथ से पकड़ी पोनिया बंदूक 12 बोर तथा इसकी पहनी पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर जिसपर एम्यूनिशन फैक्टरी खडकी लिखे हुए बरामद हुए। दूसरे पकड़े व्यक्ति ने अपना नाम इकराम पुत्र अखतर निवासी इन्दिरा चौक मंसूर कालोनी बासठफुटा रोड सहारनपुर थाना मण्डी बताया इसकी जामा तलाशी में इसके कब्जे से एक तमंचा देशी 12 बोर बरामद हुआ और इसकी जामा तलाशी में पहनी पैन्ट की दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर जिसपर एम्यूनिशन फैक्टरी खडकी लिखा हुआ बरामद हुआ। तीसरे पकड़े व्यक्ति ने अपना नाम नौशाद पुत्र इरशाद निवासी मोहल्ला चाह मंजिली कस्बा

व थाना नानौता जिला सहारनपुर बताया, इसकी जामा तलाशी में इसके पहनी पैंट के सुड्डे से एक चाकू होले का खटके वाला बरामद हुआ। चौथे पकड़े व्यक्ति ने अपना नाम मुशर्रफ पुत्र सद्दीक निवासी मौहल्ला चाह मंजली कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर बताया। इसकी जामा तलाशी में उसके पहने पैन्ट के सुड्डे से एक चाकू मछलीनुमा खटके वाला बरामद हुआ। पकड़े गये चारो अभियुक्तगण से अवैध असलहा रखने और गैर टाईम गैर महफूज जगह इकट्ठा होने का कारण पूछा तो बताया कि हम सब के पास खर्चा नहीं था इसलिए ग्राम कालू माजरा मे करेशन के यहां डकैती डालने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। इस पर अभियुक्तगण को उनके जुर्म व धारा से अवगत कराकर समय करीब 10.15 बजे रात्रि नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा खण्डहर के बाहर खड़े दो मोटरसाईकिल व एक स्कूटी के बारे में पूछने व कागज मांगने पर अभियुक्तगण नहीं दिखा सके और बताया कि नीले रंग की स्पलैण्डर को इकराम, जहांगीर, सोहन (सोहनपाल) द्वारा घटना से 10–12 दिन पहले गांव सीकरी कला के जंगल से एक व्यक्ति को डरा धमकाकर छीनना तथा दूसरी मोटर साईकिल व स्कूटी को मौके से भागे हुए अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) की होना बताया था। नीले रंग की मोटरसाईकिल पर कोई नंबर प्लेट नीहं थी और उसके पीछे ट्रैक्टर जैसा टायर डला था। जिसका इंजन नं. व चेसिस नं. फर्द में अंकित किया था। मौके से बरामद दूसरी मोटर साईकिल स्पलैण्डर रंग काला के पीछे एच.आर. नंबर की प्लेट लगी थी। जिसका इन्द्राज इंजन नं. व चेसिस नंबर के फर्द में अंकित किया था। मौके से बरामद स्कूटी एक्टिवा पर एच.पी. के नंबर की प्लेट थी तथा उसका इंजन नं. व चेसिस नं. पढ़ा नहीं जा सका था। अभियुक्तगण से बरामद असलहा का हूलिया भी फर्द में अंकित किया था। मौके से बरामद जिस मोटर साईकिल को लूट की होना अभियुक्तगण ने बताया था। उसके बारे में जानकारी करने पर थाना चिलकाना पर मु.अ.सं. 316/15 धारा 392 आई.पी.सी. बनाम अज्ञात में दर्ज था और जिसकी विवेचना मेरे द्वारा ही की जा रही थी। इसलिए इस मोटरसाईकिल को उस मुकदमे का माल मुकदमा बनाया था तथा बरामद दूसरी मोटरसाईकिल को धारा 102 सीआरपीसी के अन्तर्गत कब्जे पुलिस लिया गया था। अभियुक्तगण को मोटर साईकिल बरामदगी के आधार पर धारा 414 आई.पी.सी. के जुर्म से भी अवगत कराया था। अभियुक्तगण से बरामद बंदूक, तमंचा व चाकू को व कारतूसों को अभियुक्तवार बरामदगीनुसार अलग–अलग कपड़ो में सील सर्वे मुहर कर नमूना मुहर तैयार किये गये थे। गिरफ्तारी प्रपत्र व सूचना प्रपत्र मौके पर तैयार कर तथा फर्द बरामदगी भी मौके पर मैंने टार्च की रोशनी में लिखकर, तैयार कर, पढ़कर, सुनाकर गिरफ्तारी प्रपत्र पर अभियुक्तगण व हमराह पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर कराये थे तथा फर्द बरामदगी भी पढ़कर सुनाकर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण उपरोक्त की मौजूदगी में फर्द पर हमराह पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर कराते हुए चारों अभियुक्तगण की सहमति से फर्द की नकल अभियुक्त जहांगीर को देकर उसके भी हस्ताक्षर फर्द पर कराये थे। बाद कार्यवाही मौके से गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण, बरामदा माल मुकदमा व प्रपत्रों को थाने ले जाकर मेरे द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध बरामदगी अनुसार अभियोग पंजीकृत कराये गये थे। पत्रावली पर संलग्न मूल फर्द बरामदगी कागज सं. 5क/1 ता 5क/2 को द्वारा वी.सी. गवाह ने देखकर कहा कि यही फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। फर्द पर मेरे हमराह पुलिसकर्मियों व अभियुक्त जहांगीर के हस्ताक्षर हैं। फर्द मेरे लेख व हस्ताक्षर में

है, शिनाख्त करता हूँ। फर्द में पूर्व में ही प्रदर्श क4 डाला जा चुका है। मैंने विवेचक को घटनास्थल का निरीक्षण करा दिया था और अपने बयान में सभी बाते बता दी थी। इस मुकदमे से संबंधित माल मुकदमा तीन सील सर्वे मुहर कपड़े पुलिंदो में माननीय न्यायालय में मेरे सामने है। जिनमें से पहले कपड़ा पुलिंदा जिसके ऊपर मु.अ.सं. 331/15 व माल क्रमांक सं. 4428–18 लिखा है तथा एक अदद तमंचा देशी व एक कारतूस जिंदा 12 बोर व अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम इकराम थाना चिलकाना लिखा है। अभियुक्त इकराम के हस्ताक्षर है अन्य इबारत कपड़े पुलिन्दे पर भीग जाने के कारण कुछ फैली हुई है जो पढ़ने में नहीं आ रही है। उक्त तमंचा सील सर्वे मुहर है। माननीय न्यायालय की अनुमति से उक्त सील पुलिन्दा सील हटाकर खोला गया तो उसके अंदर से एक देशी तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर जिस पर कारतूस के ऊपर एम्यूनेशन फैक्टरी खडकी और केएफ–12, पीतल की पेंदी पर लिखा है। गवाह ने देखकर कहा कि यही तमंचा व कारतूस अभियुक्त इकराम से बरामद हुए थे जिन्हे मैंने इसी कपड़े पुलिंदे में मौके पर सील सर्वे मुहर कर कपड़े पर यह इबारत अंकित करते हुए अभियुक्त इकराम के हस्ताक्षर कराये थे। इनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। कपड़े पुलिंदे पर **वस्तु प्रदर्श–1,** तमंचे पर **वस्तु प्रदर्श–2** व कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–3** डाला गया। दूसरा कपड़ा पुलिन्दा सील सर्वे मुहर अवस्था में जिसके ऊपर स्कैच पैन से मु.अ.सं. 332/15 व माल क्रमांक सं. 5058–18 लिखा है कपड़े पुलिन्दे पर अन्य स्कैच सै लिखी इबारत पानी से भीग जाने के कारण पठनीय नहीं है। केवल एक पुलिन्दा सील एक चाकू संबंधित..............4/25ए पढ़ने में आ रहा है। हसन जावेद कां. व कां. राजमोहन के हस्ताक्षर हैं व सीन किया हुआ लिखा पढ़ने में आ रहा है। माननीय न्यायालय की अनुमति से सील पुलिन्दा खोला गया। तो उसके अंदर से एक चाकू खटके वाल मछलीनुमा बैटे का खुलने बंद होने वाला निकला जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यही चाकू अभियुक्त नौशाद से मौके पर बरामद हुआ तथा इसे मैंने इसी कपड़े पुलिन्दे में रखकर सील किया था। इसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। कपड़े पुलिन्दे पर **वस्तु प्रदर्श–4**, चाकू पर **वस्तु प्रदर्श–5** डाला गया। तीसरा कपड़ा पुलिन्दा सील सर्वे मुहर अवस्था में माननीय न्यायालय में मेरे सामने है जिसके ऊपर मु.अ.सं. 333/15 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मुशर्रफ थाना चिलकाना महमूला एक अदद चाकू मछलीनुमार लिखा है। माल क्रमांक 5059–18 लिखा है। अभियुक्त मुशर्रफ का निशानी अंगूठा लगा है। माननीय न्यायालय की अनुमति से सील पुलिंदा कपड़ा सील हटाकर खोला गया। तो उसके अंदर से एक चाकू मछलीनुमा बेटे वाला खोलने बंद करने का खटका लगा निकला जिसे देखकर गवाह ने कहा कि यही चाकू अभियुक्त मुशर्रफ से बरामद हुआ था जिसे मैंने इसी कपड़े में रखकर सील किया था। इनकी मैं शिनाख्त करता हूँ। कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–6** व चाकू पर **वस्तु प्रदर्श–7** डाला गया। बरामदा चोरी की मोटर साईकिल व स्कूटी के संबंध में वाद अन्य न्यायालय से जुर्म इकबाल के आधार पर पूर्व में ही निर्णीत हो चुका है। अभियुक्त जहांगीर से बरामद एक अदद पोनिया बंदूक व कारतूस आज मेरे सामने मौजूद नहीं है।

23. **पी०डब्लू०5– निरीक्षक सुदेश कुमार** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 19.12.2015 को मैं थाना चिलकाना जिला सहारनपुर पर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन थाना चिलकाना पर मेरी मौजूदगी में मु.अ.सं. 329/15 धारा 399, 402

आई.पी.सी. बनाम जहांगीर आदि पांच नफर अभियुक्तगण पंजीकृत होकर तथा मु.अ.सं. 330/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम जहांगीर व मु.अ.सं. 331/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम इकराम तथा मु.अ.सं. 332/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम नौशाद तथा मु.अ.सं. 333/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मुशर्रफ तथा मु.अ.सं. 334/15 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 आई.पी.सी. बनाम जहांगीर आदि पांच नफर अभियुक्तगण पंजीकृत होकर उक्त सभी मुकदमों की विवेचना मेरे सुपुर्द हुई थी। मैंने विवेचना ग्रहण कर थाना कार्यालय से इन मुकदमो से संबंधित नकल चिक नकल रपट कायमी मुकदमा आदि प्रपत्र प्राप्त कर नकल एफ.आई.आर. व नकल रपट केस डायरी में अंकित करते हुए उन्हें संलग्न सी.डी. किया था और सभी मकुदमो की विवेचना एक साथ ही की थी। जिसमें थाना कार्यालय में मौजूद एफ.आई.आर. लेखक कां. क्लर्क महेश कुमार का बयान दर्ज किया था और थाना हवालात में बंद अभियुक्तगण जहांगीर पुत्र जाहिद निवासी गांव मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर व इकराम पुत्र अख्तर निवासी इन्दिरा चौक मंसूर कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर तथा नौशाद पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला चाह मंजिल कस्बा व थाना नानौता सहारनपुर व मुशर्रफ पुत्र सद्दीक ये भी निवासी मौहल्ला चाह मंजिल कस्बा व थाना नानौता के बयान दर्ज किये थे तथा अभियुक्तगण बरामदा माल मुकमदा व तैयार प्रपत्रों सहित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनका रिमाण्ड स्वीकृत कराया था। दिनांक 19.12.2015 की केस डायरी पर्चा नं. 1 में उक्त इन्द्राज मैंने अंकित किया था। दिनांक 20.12.2015 को सी.डी. 2 में वादी मुकदमा एस.आई. मोहित तोमर का बयान मैंने दर्ज किया था जिसमें साक्षी ने फर्द व घटना व बरामदगी के तथ्यों का समर्थन किया था वादी की निशानदेही पर वादी के साथ घटनास्थल जैन भट्टा जंगल ग्राम कालू माजरा जाकर निरीक्षण घटनास्थल करते हुए नक्शानजरी मौके पर तैयार कर किया था। नक्शे का इन्द्राज केस डायरी में करते हुए नक्शा संलग्न सी.डी. किया था जोकि सभी मुकदमो के संबंध में उनका इन्द्राज उसी नक्शे पर करते हुए एक ही मूल रूप में तैयार किया था। पत्रावली पर संलग्न मूल नक्शा नजरी कागज सं. 7क को द्वारा वी.सी. देखकर गवाह ने कहा यही वह नक्शानजरी है जो मेरे द्वारा तैयार किया गया था नक्शा मेरे लेख हस्ताक्षर में है। शिनाख्त करता हूँ। नक्शे पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। दौरान निरीक्षण घटनास्थल पर आये सतेन्द्र व विनोद कुमार निवासी गांव कालू माजरा के बयान समायी साक्षी के रूप में दर्ज किये थे। इसके बाद वांछित अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) पुत्र काल बाल्मीकि की गिरफ्तारी हेतु उसके घर गांव दाबकी गुर्जर में जाकर उसकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दी थी जोकि दस्त्याब नहीं हो सका था अभियुक्त की जानकारी हेतु मुखबिर मामूर किये थे। दिनांक 07.01.16 को सी.डी. 3 में फर्द व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के साक्षीगण कां. राजमोहन तथा कां. हसन जावेद के बयान दर्ज किये थे जिन्होंने घटना व फर्द के तथ्यों का समर्थन करते हुए अपना चश्मदीद साक्ष्य दर्ज कराया था। दिनांक 15.01.16 को सी.डी. 4 में घटना व फर्द के साक्षी कां. विनीत कुमार व कां. कुलबीर सिंह कां. चन्द्रवीर सिंह के बयान दर्ज किये थे जिन सभी ने घटना व फर्द के तथ्यों का समर्थन करते हुए अपना चश्मदीद साक्ष्य दर्ज कराया था। वांछित अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी थी। दस्त्याब नहीं हुआ था। दिनांक 29.01.2016 को सी.डी. 5 में तमामी विवेचना बयानात वादी व गवाहान गिरफ्तारी अभियुक्तगण व बरामदगी माल मुकदमा

आदि निरीक्षण घटनास्थल आदि साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण जहांगीर, इकराम, नौशाद व मुशर्रफ के विरुद्ध मु.अ.सं. 329/15 की विवेचना के संबंध में जुर्म धारा 399, 402 आई.पी.सी. का साबित पाते हुए इनके विरुद्ध आरोप पत्र सं. 31/16 माननीय न्यायालय हेतु प्रेषित किया था तथा अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) के संबंध में विवेचना प्रचलित रखी थी। पत्रावली पर संलग्न मूल आरोप पत्र कागज सं. 3क/1 ता 3क/12 को द्वारा वी.सी. देखकर गवाह ने कहा कि यही आरोप पत्र मैंने मु.अ.सं. 329/15 की विवेचना के संबंध में कंप्यूटर पर तैयार कराकर माननीय न्यायालय हेतु प्रेषित किया था। इस पर मेरी मुहर व हस्ताक्षर हैं। शिनाख्त करता हूँ। आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। तथा मु.अ.सं. 330/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम जहांगीर की विवेचना के संबंध में तमामी विवेचना उपरोक्त के आधार पर जुर्म धारा 25 आर्म्स एक्ट का साबित पाते हुए अभियुक्त जहांगीर के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 32/16 तथा मु.अ.सं. 331/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम इकराम की विवेचना के संबंध में उसके विरुद्ध जुर्म धारा 25 आर्म्स एक्ट का साबित पाते हुए आरोप पत्र सं. 33/16 दिनांकि 29.01.2016 और मु.अ.सं. 332/15 बनाम नौशाद धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की विवेचना के संबंध में उसके विरुद्ध आरोप पत्र सं. 34/16 तथा मु.अ.सं. 333/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का साबित पाते हुए आरोप पत्र सं. 35/16 दिनांकी 29.01.16 उपरोक्त विवेचनाओं के संबंध में माननीय न्यायालय हेतु प्रेषित किये थे तथा अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) के संबंध में और मु.अ.सं. 334/15 धारा 41/102 सी.आर.पी.सी. व 414 आई.पी.सी. के मुकदमे में अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रखी थी। दिनांक 01.02.16 को पुनः इन मु.अ.सं. 329/16 व 334/15 की विवेचना में एस.सी.डी. के पर्चा नं. 1 में इस केस के वांछित अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) को थाना कोतवाली देहात के मु.अ.सं.54/16 धारा 307 आई.पी.सी. व मु.अ.सं. 55/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना कोतवाली देहात जाकर जानकारी हुई थी कि थाना प्रभारी कोतवाली देहात के द्वारा तस्करा पूछताछ में अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) ने मु.अ.सं. 329/15 व 334/15 के जुर्म को भी इकबार किया था जो कि तस्करा पूछताछ प्राप्त कर बाद अवलोकन उसे मैंने संलग्न सी.डी. किया था। जो कि जी.डी.नं. 50 समय 23.50 बजे दिनांकी 31.01.16 पर दर्ज किया गया था। अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) ने अपने साथियों जहांगीर, इकराम, नौशाद, मुशर्रफ के साथ मिलकर इस केस की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया था जो कि तस्करा पूछताछ रपट नं. 12 दिनांकी 01.02.16 समय 8.45 थाना कोतवाली देहात की छायाप्रति कागज सं. 5/6 को द्वारा वी.सी. देखकर गवाह ने कहा कि यही वह तस्करा पूछताछ अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) है जिसकी मूल मेरे द्वारा थाना कोतवाली देहात पर दर्ज की गई थी तथा उसी की छायाप्रति मैंने इस पत्रावली पर यह संलग्न की थी जिस पर मेरा लेख व हस्ताक्षर है शिनाख्त करता हूँ। दिनांक 03.02.16 को एस.सी.डी. 3 में अभियुक्तगण से बरामद मोटर साईकिल स्पलैण्डर व स्कूटी के संबंध में जानकारी हेतु स्वाति होण्डा मोटर साईकिल कोर्ट रूम सहारनपुर पर जाकर एजेंसी के मैनेजमेंट अरविन्द कुमार को बरामद मोटर साईकिल व स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नं., इंजन नं. व चेसिस नं. से अवगत कराते हुए उनहे वाहन स्वामियों के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया था तो कोई पता नहीं चल सका

था। दिनांक 06.02.16 को एस.सी.डी. 3 में अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) का थाना कोतवाली देहात पर बतौर प्रभारी तस्करा पूछताछ दर्ज करने वाले एस.आई. वी.के. गौतम का बयान दर्ज किया था। जिन्होंने अपने तस्करा पूछताछ में अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) द्वारा इस केस के घटना का जुर्म स्वीकार किया जाना तस्दीक किया था। दिनांक 07.02.16 को एस.सी.डी. 4 में तमामी विवेचना बयानात गवाहान व वादी व अभियुक्त निरीक्षण घटनास्थल तस्करा पूछताछ गिरफ्तारी अभियुक्तगण व बरामदगी आदि के साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) के विरुद्ध जुर्म धारा 399, 402 आई.पी.सी. व मु.अ.सं. 334/15 धारा 102/41 सीआरपीसी व 414 आई.पी.सी. के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध जुर्म साबित पाते हुए उपरोक्त धाराओं में मु.अ.सं. 334/15 के संबंध में विवेचना प्रचलित रखी थी तथा मु.अ.सं. 329/15 के संबंध अभियुक्त सोहन (सोहनपाल) के विरुद्ध आरोप पत्र सं. 31ए/15 दिनांकी 07.02.16 माननीय न्यायालय हेतु प्रेषित किया था।

24. विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना गया।

25. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षीगण से के बयानों में विरोधाभास है। मुखबिर के द्वारा सूचना दिए जाना के संबंध में अभियोजन साक्षीगण ने भिन्न–भिन्न कथन किए हैं। कथित घटनास्थल पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाना तथा उनसे वस्तुएं बरामद किया जाना संदिग्ध है। घटना का कोई स्वतंत्रत साक्षी नहीं है। घटनास्थल पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी टाइम है। अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

26. विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क दिया कि घटना स्थल से अभियुक्तगण को डकैती की योजना बनाते हुए सुना गया। अभियुक्तगण हथियारों से सुसज्जित होकर डकैती की तैयारी कर रहे थे तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चुराई हुई मोटरसाइकिलें व स्कूटी बरामद हुई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से अभियोजन अपना कथानक संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

27. प्रस्तुत प्रकरण के निर्धारण हेतु प्रमुख अवधार्य बिंदु है कि **क्या अभियुक्तगण जैन भट्टा ग्राम कालू माजरा में डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होकर हथियारों से सुसज्जित होकर डकैती की तैयारी कर रहे थे और उनके पास से चुराई हुई 2 मोटरसाइकिल तथा एक स्कूटी बरामद हुई**?

अवधार्य बिन्दु का साक्ष्य के अनुक्रम में विश्लेषण एवं निष्कर्षः–

28. **अवधार्य बिंदु** इस आशय का है कि **क्या अभियुक्तगण जैन भट्टा ग्राम कालू माजरा में डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होकर हथियारों से सुसज्जित होकर डकैती की तैयारी कर रहे थे और उनके पास से चुराई हुई 2 मोटरसाइकिल तथा एक स्कूटी बरामद हुई**?

29. फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–4** में उल्लिखित है कि दिनाँक 18/12/15 को मैं एस. आई. मोहित तोमर मय कां0 61 राजमोहन, कां0 803 हसन जावेद, कां0 2022

विनीत कुमार, कां0 43 कुलवीर, कां0 1547 चन्द्रवीर के थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 18 समय 16.00 बजे रवाना होकर वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था व रोकथाम अपराध में इलाका मामूर थे। जब हम लोग सुल्तानपुर बाईपास पर पहुँचे तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जैन भट्टा व कालू माजरा के बीच में बंद पडे भट्टे के पास बने खण्डहर में बैठे लूट की योजना बना रहे हैं।

30. पी0डब्ल्यू0–2, पी0डब्ल्यू0–3 तथा पी0डब्ल्यू0–4 अपने मुख्य परीक्षा में फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–4** का समर्थन किया है

31. साक्षी **पी0डब्ल्यू0–2** हसन जावेद जैदी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या–5** पर कथन किया है कि घटना दिनांक 18/12/2015 की है। समय करीब रात के 8:15 बजे का है। मुखबिर द्वारा सूचना पूरी टीम को दी गई थी। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जब हम सुल्तानपुर पहुंचे तो मुखबिर की सूचना पूरी टीम को आई थी। मुखबिर ने खड़ी ही गाड़ी पर आकर सूचना दी थी। मुखबिर ने कालू माजरा भट्टे के खंडहर में बदमाश होने की सूचना दी थी। सूचना मिलने वाले स्थान से घटनास्थल दो–ढाई किलोमीटर है। मुखबिर द्वारा सूचना करीब 6:00 बजे शाम को दी गई थी। मुखबिर सहित हम घटनास्थल पर एक–डेढ़ घंटे बाद पहुंच गए थे। मेरे ध्यान नहीं है कि दबिश के दौरान सूचना एस.एच.ओ. साहब को दी थी या नहीं। रवानगी जी.डी. में दबिश का इंद्राज नहीं है। सूचना मिलने के बाद हम वापस थाने नहीं गए थे। हमारी पूरी टीम ने खंडहर में बैठे बदमाशों की आवाज सुनी थी। उस समय मुखबिर इशारा करके चला गया था। साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 ने प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या 6** पर कथन किया है कि हम घटनास्थल पर पांच घंटे रुके थे। नक्शा–नजरी मौके पर बनाई गई थी। फर्द बरामदगी की लिखा–पढ़ी मौके पर ही की गई थी। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि हम पकड़े गए मुल्जिमान को लेकर थाने सुबह करीब 3:00 बजे आ गए थे। तारीख 18/19 को आए थे।

32. साक्षी **पी0डब्ल्यू0–3** उपनिरीक्षक चंद्रवीर सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या–4** पर कथन किया है कि थाने से मैं कांस्टेबल राजमोहन, कांस्टेबल जावेद हसन, कांस्टेबल कुलवीर, कांस्टेबल विनीत के साथ थाने से शाम के 3:15 बजे चले थे। जी.डी. में इंद्राज करके चले थे या नहीं? यह दरोगा जी को पता है, मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि रवानगी जी.डी. आज मेरे सामने पत्रावली पर नहीं है। हम लोग सुल्तानपुर होते हुए घटनास्थल पर पहुंचे थे। थाने से रवाना होकर घटनास्थल पहुंचने में हमें 30 मिनट लगे थे। थाने से मैं डंडा लेकर चला था। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मुल्जिमान के बारे में मुखबिर ने सूचना दी थी। मुखबिर ने दरोगा जी को थाने पर सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद हम लोग रवाना हुए थे। मुखबिर हमारे साथ घटनास्थल तक नहीं गया था। साक्षी **पी0डब्ल्यू0–3** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या 6** पर कथन किया है कि हम लोग थाने से अपने प्राइवेट वाहन तीन मोटरसाइकिल से चले थे। आज खुद कहा कि दरोगा जी की मोटरसाइकिल अलग थी। खंडहर के आसपास का रास्ता कचा था। हमने अपनी मोटरसाइकिल खंडहर से पहले छोड़ दी थी। कितनी दूर छोड़ी थी मुझे ध्यान नहीं। साक्षी पी0 डब्ल्यू0–3 ने अभियुक्त जहांगीर व सोहन (सोहनपाल) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि हम थाने से जी.डी. नंबर 18 से समय 16:00 दिनांक 18/12 को रवाना हुए थे। हम

लोग दरोगा सहित छह पुलिसकर्मी थे। हम लोग अपने प्राइवेट वाहन से गए थे। नंबर याद नहीं है। थाने से घटनास्थल तक जाने में 15 मिनट लगे थे। हम घटनास्थल से पहले सुल्तानपुर बाईपास पर दो–तीन मिनट रुके थे। वहीं पर मुखबिर ने मुकदमे से संबंधित सूचना दी थी। समय 16:05 का होगा। मुखबिर ने बताया था कि कुछ बदमाश भट्टे के खंडहर में बैठे हैं। यह बात सही है कि मुखबिर ने बदमाशों की संख्या व नाम नहीं बताए थे। आगे प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि कुल कार्रवाई में लगभग दो–तीन घंटे लगे थे। बैटरी की रोशनी में लिखा था। बैटरी किसने जलाई थी? यह ध्यान नहीं। थाने पर सवा 22:00 बजे आ गए थे।

33. साक्षी **पी0डब्ल्यू0–4** निरीक्षक मोहित तोमर वादी मुकदमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या–7** पर कथन किया है कि मैं थाने से 16:00 बजे चले थे। साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 ने प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या 9** पर कथन किया है कि मुझे इस घटना की सूचना बजरिए मुखबिर सुल्तानपुर बाईपास पर मिली थी। मुखबिर ने सूचना मिलकर दी थी। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि थाने से रपट नंबर 18 समय 16:00 बजे चले थे। रवानगी जी.डी. नंबर 18 पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह कहना सही है। घटनास्थल तक पहुंचने में करीब 15 मिनट लगे थे। सूचना समय करीब 18:00 बजे मिली थी। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि थाने से हम लोग प्राइवेट वाहन से चले थे। यह कहना सही है कि प्राइवेट वाहन का इंद्राज जी.डी. या फर्द में नहीं किया था। साक्षी पी0डब्ल्यू0–4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या–12** पर कथन किया है कि मुखबिर की सूचना थी। मुखबिर ने सूचना करीब 18:00 बजे दी थी। मुखबिर हमें सुल्तानपुर बाईपास पर मिला था। घटनास्थल पर करीब 18:30 बजे पहुंचे थे।

34. साक्षी **पी0डब्ल्यू0 –5** निरीक्षक सुदेश कुमार (विवेचक) ने प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या 9** पर कथन किया है कि यह बात सही है कि वादी मुकदमा की रवानगी जी.डी. पत्रावली में नहीं है, ना ही उसकी नकल मैंने सी.डी. में की थी। यह कहना सही है कि वापसी व कायमी मुकदमा की जी.डी. में वादी मुकदमा सरकारी जीप नंबर यूपी–11ए–0314 से वापस मय मुल्जिमान के आए थे।

35. फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–4** के अनुसार थाने से पुलिस पार्टी 4:00 बजे निकली। पी0डब्ल्यू0–2 के प्रतिपरीक्षा के बयानों के अनुसार मुखबिर द्वारा शाम को 6:00 बजे सूचना पुलिस पार्टी के सभी सदस्यों को दी गई। मुखबिर से सूचना मिलने के लगभग डेढ़ घंटे बाद अर्थात् 7:30 बजे घटनास्थल पर पुलिस पार्टी पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस पार्टी 5 घंटे तक रही। इस प्रकार पुलिस पार्टी लगभग 12:30 बजे तक घटनास्थल पर रही। पकड़े गए अभियुक्तगण के साथ थाने लगभग 3:00 बजे पुलिस पार्टी पहुंच गई। **पी0डब्ल्यू0–3** के प्रतिपरीक्षा के बयानों में आया है कि थाने से पुलिस पार्टी शाम को 3:15 बजे चली थी। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि थाने से 4:00 बजे चले थे। थाने से घटनास्थल पहुंचने में 30 मिनट लगे थे। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि थाने से घटना स्थल तक जाने में 15 मिनट लगे थे। मुखबिर ने दरोगा जी को थाने पर सूचना दी थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाने से पुलिस पार्टी रवाना हुई थी। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मुखबिर ने सुल्तानपुर बाईपास पर 4:05 पर मुकदमे से संबंधित सूचना दी थी। अपने प्राइवेट वाहनों से पुलिस पार्टी थाने से चली

थी। कुल कार्रवाई में लगभग दो–तीन घंटे लगे थे थाने पर 10:15 बजे पहुंच गए। **पी0डब्ल्यू0–4** की प्रतिपरीक्षा में आया है कि मुखबिर ने 6:00 बजे सुल्तानपुर बाईपास पर सूचना दी थी। प्राइवेट वाहन से चलने का इंद्राज जी.डी.व फर्द में नहीं किया। घटनास्थल पर 6:30 बजे पहुंचे थे। **पी0डब्ल्यू0–5** की प्रतिपरीक्षा के बयानों में आया है कि वादी मुकदमा की रवानगी जी०डी० पत्रावली में नहीं है। कायमी मुकदमा की जी०डी० में वादी मुकदमा सरकारी जीप नंबर यू.पी. 11ए 0314 से वापस मुल्जिमानों के साथ आना उल्लिखित है।

36. अभियोजन के उक्त साक्षीगण के बयानों में पुलिस पार्टी का थाने से निकलने के संबंध में भिन्न–भिन्न बयान दिए गए हैं। पुलिस पार्टी को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने के स्थान तथा समय के संबंध में भिन्न–भिन्न कथन अभियोजन साक्षीगण ने किए हैं। घटनास्थल पर पुलिस पार्टी के पहुंचने के संबंध में भिन्न–भिन्न कथन अभियोजन साक्षीगण ने किए हैं। घटनास्थल पर की गई कार्यवाही में कुल लगे समय के संबंध में अभियोजन साक्षीगण ने भिन्न–भिन्न कथन किए हैं। समस्त कार्यवाही करने के उपरांत थाने पर पहुंचने के समय के संबंध में अभियोजन साक्षीगण ने भिन्न–भिन्न कथन किए हैं। इस प्रकार पुलिस पार्टी का थाने से निकलना, मुखबिर द्वारा सूचना दिया जाना, घटनास्थल पर लगे समय, थाने पर वापस आने के समय के संबंध में, पुलिसपार्टी द्वारा थाने से निकालने तथा वापस आने के वाहनों के संबंध में कथनों में एकरूपता ना होने के कारण, पुलिस पार्टी का थाने से प्राइवेट वाहनों से निकलना मुखबिर द्वारा सुल्तानपुर बाईपास पर सूचना दिया जाना, घटनास्थल पर पहुंचने के समय के संबंध में, घटनास्थल पर कुल लगे समय के संबंध में तथा वापस थाने पर आने के समय के संबंध में अभियोजन कथानक संदिग्ध है।

37. साक्षी **पी0डब्ल्यू0–2** ने अपनी प्रतिपरीक्षा के **पेज संख्या 6** पर कथन किया है कि हमने बदमाशों को पकड़ने के लिए ललकारा नहीं था। हम सीधे खंडहर में घुस गए थे। हमारे पास एक टॉर्च थी। मौके पर हमने तीन व्यक्ति पकड़े थे। दो भाग गए थे। पकड़े गए लोगों में जहांगीर, नौशाद व इकरार थे। सोनू वाल्मीकि था। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि नक्शा–नजरी में भागे गए व्यक्तियों के नाम, मुझे नहीं पता है। उत्तर की तरफ पेड़ है। फिर चकरोड है। दक्षिण में खाली जगह थी। खेत टाइप थी। पूरब में चकरोड थी। घटनास्थल वाली जगह दक्षिण में है। अंदर हम दक्षिण दिशा से घुसे थे। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि फर्द पर जहांगीर के दस्तखत कराए थे। अन्य के भी दस्तखत कराए थे। इसे देखकर गवाह ने कहा कि फर्द पर एक ही मुल्जिम जहांगीर के हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या–7** पर आया है कि फर्द तीन–चार प्रतियों में तैयार की गई थी। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि न्यायालय में आज प्रस्तुत माल के अलावा भी एक स्कूटी व दो मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। स्कूटी व मोटरसाइकिल खंडहर के बाहर खड़ी थी। बरामद कारतूस पर इस समय कुछ लिखा हुआ पढ़ने में नहीं आ रहा है।

38. **पी0डब्ल्यू0–3** ने प्रतिपरीक्षा में **पेज 8** पर कथन किया है कि हम कच्चे रास्ते से खंडहर में पहुंचे थे। चकरोड से खंडहर पूर्व दिशा में है। **पी0डब्ल्यू0 4** ने प्रतिपरीक्षा में **पेज 8** पर कथन किया है कि जिस खंडहर से अभियुक्तगण को पकड़ा था, वह दक्षिण

मुहाना था। नक्शा–नजरी आई.ओ. को मैंने बनवाया था। घटना के एक–दो दिन बाद बनवाया था।

39. पी0डब्ल्यू0–2 के उक्त प्रतिपरीक्षा के बयानों से परिलक्षित होता है कि घटनास्थल पर पुलिस पार्टी दक्षिण की तरफ से घुसी थी। जबकि नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–5** में दक्षिण की तरफ से खंडहर में घुसने का कोई दरवाजा या टूटी दीवार दर्शित नहीं की गई है। नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–5** में खंडहर का मुहाना पूरब की ओर दिखाया गया है। खंडहर चकरोड के पूर्व में है, ना कि चकरोड के पूर्व में खंडहर है। इस प्रकार घटनास्थल के संबंध में अभियोजन साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–2, पी0डब्ल्यू0–3 तथा पी0डब्ल्यू0–4 घटनास्थल **प्रदर्श क–5** का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

40. पी0डब्ल्यू0–2 के प्रतिपरीक्षा के बयानों में आया है कि फर्द पर जहांगीर के दस्तखत कर आए थे। अन्य के भी दस्तखत कराए थे। पी0डब्ल्यू0–3 के प्रतिपरीक्षा के बयानों में आया है कि मौके पर कितने कागज तैयार हुए थे और कितने कागजों पर मैंने हस्ताक्षर किए थे, मैं नहीं बता सकता। फर्द बरामदगी पर मेरे हस्ताक्षर हुए थे। फर्द बरामदगी एस.आई. मोहित तोमर ने मौके पर तैयार की थी। मौके पर सभी पुलिस कर्मचारीगण के हस्ताक्षर फर्द पर हुए थे। अभियुक्तगण में से केवल जहांगीर के हस्ताक्षर फर्द पर हुए थे। फर्द मेरे सामने लिखी गई थी। कितने पृष्ठों में लिखी गई थी, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने फर्द के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए थे। अन्य किस–किस प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे, मुझे ध्यान नहीं है। यह सही है कि फर्द बरामदगी पत्रावली में तीन पृष्ठों की है, जिसके पहले और दूसरे पृष्ठ पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। **पी0डब्ल्यू0–4** ने प्रतिपरीक्षा में **पेज 9** पर कथन किया है कि फर्द बरामदगी पर सभी की सहमति से अभियुक्त जहांगीर के हस्ताक्षर कराए थे। अभियुक्तगण से सहमति लिखित नहीं, मौखिक ली थी। मौके पर फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी मेमो तैयार किए थे। फर्द मैंने टार्च की रोशनी में लिखी थी। मुझे ध्यान नहीं कि टार्च किसने जलाई थी।

41. इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–4** पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर होने के संबंध में तथा फर्द के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने के संबंध में भिन्न–भिन्न कथन कर रहे हैं। फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–4** पर अभियुक्त जहांगीर के हस्ताक्षर हैं, अंतिम पृष्ठ पर है। अन्य किसी अभियुक्तगण के हस्ताक्षर नहीं है। फर्द के पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर किसी भी के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–4** पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर होने तथा फर्द के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने के संबंध में अभियोजन साक्षीगण के बयानों से समर्थन नहीं हो रहा है।

42. साक्षी **पी0डब्ल्यू0–3** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या–5** पर कथन किया है कि हमने 50 मीटर की दूरी से मुल्ज़िमान को बैठे देखा था। मुल्जिमान लूट की योजना बना रहे थे। ग्राम कालू माजरा में लूट की योजना बना रहे थे। करेशन के घर में लूट की योजना बना रहे थे। हम लोग मुल्ज़िमान को पहले से नहीं जानते थे। मैं, कुलबीर व जावेद हसन दक्षिणी दिशा से मुल्जिमान को घेरने पहुंचे थे। मैंने इकराम को पकड़ा था। मुल्जिम सोहन (सोहनपाल) भाग गया था। खंडहर के बाहर दो मोटरसाइकिल व एक स्कूटी खड़ी थी। मैं इनके नंबर नहीं बता सकता। मौके पर जहांगीर, इकराम, मुशर्रफ पकड़े गए थे। इकराम से कट्टा बरामद हुआ था। इकराम की तलाशी मैंने ली थी। इस

साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या 6** पर किया है कि यह कहना सही है कि घटना रात्रि 10:00 बजे की है। मुल्जिमान खंडहर में अंधेरे में बैठे थे। विवेचक ने मेरा कोई बयान नहीं लिया, ना ही घटना के संबंध में मुझसे कोई पूछताछ की थी। विवेचक ने मेरा यह बयान कैसे लिख दिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। पी0डब्ल्यू0–3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या–8** पर कथन किया है कि भागे दो अभियुक्त में से जहांगीर को पकड़ लिया था।

43. पी0डब्ल्यू0–3 के उक्त बयानों से यह परिलक्षित होता है कि विवेचक ने उसके बयान नहीं लिए थे। 50 मीटर दूरी से अभियुक्तगण को लूट की योजना बनाते हुए पुलिस पार्टी ने सुन लिया था। घटनास्थल पर जहांगीर, मुशर्रफ तथा इकराम को पकड़ लिया था। भागे दो अभियुक्तगण में से जहांगीर को पकड़ लिया था। पी0डब्ल्यू0–3 का बयान अभियुक्त जहांगीर को मौके पर पकड़ लिया तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त जहांगीर का घटनास्थल से भागने के उपरांत पकड़े जाने का बयान संदिग्ध है।

44. **पी0डब्ल्यू0–4** ने प्रतिपरीक्षा में **पेज 8** पर कथन किया है कि हमने अभियुक्तगण को करीब 20 मीटर दूरी से बात करते सुन लिया था। यह कहना सही है कि मोटरसाइकिल व स्कूटी आज मेरे सामने नहीं है। पी0डब्ल्यू0–4 ने प्रतिपरीक्षा में **पेज 9** पर कथन किया है कि मौके पर कुल कार्यवाही में दो–तीन घंटे लगे थे। आगे प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या–10** पर कथन किया है कि यह कहना सही है कि फर्द के आखिर में लिखा है कि अभियुक्तगण के अलामात (हस्ताक्षर) बनवाए गए, परंतु फर्द पर केवल अभियुक्त जहांगीर के हस्ताक्षर हैं। कुल कार्रवाई के बाद हम दिनांक 19 को प्रातः 1 या 2 बजे के आसपास थाने पहुंचे थे और थाने पर पहुंचते ही अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा दिए थे।

45. **पी0डब्ल्यू0–3** के बयानों में आया है कि उसने 50 मीटर दूरी से अभियुक्तगण को योजना बनाते हुए सुना, जबकि **पी0डब्ल्यू0–4** के बयान में आया है कि उसने 20 मीटर दूर से अभियुक्तगण को योजना बनाते हुए सुना था। इस प्रकार पी0डब्ल्यू0–3 व पी0डब्ल्यू0–4 अभियुक्तगण को योजना बनाते हुए सुने जाने के संबंध में भिन्न–भिन्न दूरी बता रहे हैं। जिससे पुलिसपार्टी के द्वारा अभियुक्तगण को योजना बनाते हुए सुना जाना संदिग्ध हो रहा है।

46. साक्षी **पी0डब्ल्यू0–4** समस्त कार्यवाही के बाद थाने पर पहुंचने में दिनांक 19 को समय 1 या 2 बजे पहुंचने का कथन कर रहा है। पत्रावली में दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–1** पंजीकृत किए जाने का दिनांक व समय क्रमशः 19.12.2015 समय 1:40 बजे अंकित है। इस प्रकार एंटी टाइम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना स्पष्ट नहीं होता है।

47. **पी0डब्ल्यू0–4** ने प्रतिपरीक्षा में **पेज 11** पर कथन किया है कि हम लोग सड़क से खदान में और खदान से होकर खंडहर तक पहुंचे थे। फसल वाले खेत से होकर नहीं गए थे, जो मैंने विवेचक को मौके पर बताया था। उसी के अनुसार विवेचक ने नक्शा बनाया था। विवेचक ने नक्शे में पुलिस पार्टी को गांव के खेत से होकर जाना दिखाया है। नक्शे के बारे में पूछने पर कहा कि विवेचक ने सही दिखाया है। मैंने भूलवश गलत बता

दिया था। नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–5** में पुलिस पार्टी का खंडहर में गेहूं के खेत से होते हुए जाते हुये दर्शित किया गया है, ना कि खदान से होते हुए। पी0डब्ल्यू0–4 द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि उसने भूलवश गलत बयान खदान से होते हुए जाने का दिया है। पी0डब्ल्यू0–4 में प्रतिपरीक्षा में **पेज 12** पर यह भी स्वीकार किया है की पत्रावली पर नमूना मोहर नहीं है। जिससे घटनास्थल पर बरामद माल का सील किया जाना संदिग्ध हो जाता है।

48. **पी0डब्ल्यू0–4** की प्रतिपरीक्षा के बयानों में आया है कि अभियुक्तगण को खंडहर में देखने के 10–15 मिनट बाद पकड़ लिया था। पी0डब्ल्यू0–4 को सूचना करीब 6:00 बजे मिली थी। घटनास्थल पर लगभग दो–तीन घंटे लगे। इस प्रकार घटनास्थल पर पुलिस पार्टी लगभग 9:00 बजे तक रही। 9:00 से 1:40 पर थाने पर पुलिस पार्टी अभियुक्त के साथ पहुंची। घटनास्थल से थाने पहुंचने में 4 घंटा 40 मिनट का समय पी0डब्ल्यू0–4 के अनुसार लगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** के अनुसार थाने से घटनास्थल की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 4 घंटे 40 मिनट का समय लगना, सामान्य परिस्थितियों में स्वाभाविक नहीं है। **पी0डब्ल्यू0–3** के प्रतिपरीक्षा के बयानों में आया है कि घटनास्थल से वापस थाने आने में 10–15 मिनट लगे थे। जिससे घटनास्थल पर की गई समस्त कार्रवाई संदिग्ध हो जाती है।

49. **पी0डब्ल्यू0–4** ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि यह सही है कि बरामदगी के समय का कोई जनसाक्षी नहीं है। मैंने अपने बयान में विवेचक को बरामदगी का गवाह, जनसाक्षी होना बताया था। पी0डब्ल्यू0–4 ने प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या–11** पर कथन किया है कि गाँव से जनता का गवाह फराहम करने की कोशिश की थी, लेकिन भलाई–बुराई की वजह से कोई नहीं आया था। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह सही है कि बरामदगी के समय का कोई जनसाक्षी नहीं है। साक्षी **पी0डब्ल्यू0–2** ने प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या 6** पर कथन किया है कि फर्द के समय पब्लिक का गवाह मौके पर नहीं था। बुराई–भलाई के कारण कोई नहीं आया था। गवाह लेने का प्रयास किया था। साक्षी **पी0डब्ल्यू0–3** ने प्रतिपरीक्षा के **पेज संख्या 5** पर कथन किया है कि खण्डहर के पश्चिम में सड़क है। सड़क को पार कर दुकाने नहीं है। ट्रैक्टर की एजेन्सी व फार्म है। यह फार्म व एजेन्सी किसकी है, मुझे नहीं पता। फार्म व एजेन्सी के लोग पुलिस को देखकर मौके पर आ गये थे। लेकिन गवाही देने से मना कर दिया था। साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 ने प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या 7** पर कथन किया है कि घटनास्थल से ग्राम कालू माजरा की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। गांव से जनता के गवाहान फराहम कराने का कोई प्रयास नहीं किया। पी0डब्ल्यू0–3 ने प्रतिपरीक्षा में **पेज संख्या–8** पर कथन किया है कि यह बात सही है कि फर्द व बरामदगी का स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

50. इस प्रकार उक्त साक्षीगण के बयानों से स्पष्ट होता है कि घटनास्थल पर जनता के स्वतंत्र व्यक्ति उपस्थित थे, फिर भी फर्द **प्रदर्श क–4** का स्वतंत्र साक्षी बनने का कोई प्रयास नहीं किया गया। घटनास्थल पर दो–तीन घंटे लगे इतने समय में पुलिस पार्टी आसपास के ग्राम प्रधान या गांव के किसी भी व्यक्ति को घटनास्थल पर बुला सकते थे और उनके समक्ष फर्द की कार्यवाही कर सकते थे, परंतु पुलिस पार्टी द्वारा ऐसा कोई

प्रयास नहीं किया गया, जिससे पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है।

51. **पी0डब्ल्यू0–5** ने प्रतिपरीक्षा में **पेज 9** पर कथन किया है कि एक्टिवा स्कूटर और मोटरसाइकिल किसी अपराध से संबंधित नहीं थी। इस प्रकार किसी अन्य अपराध से बरामद एक्टिवा तथा मोटरसाइकिलें संबंधित होना नहीं पाई गई हैं। जिससे अभियुक्तगण द्वारा चुराई हुई संपत्ति को छुपाना अथवा छुपाने में सहायता करना संदिग्ध हो जाता है।

52. उपर्युक्त समग्र विवेचना के आधार पर अभियोजन द्वारा घटनास्थल पर जनता के व्यक्ति होने पर भी घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी बनाये जाने का प्रयास भी नहीं किया गया। घटनास्थल पर की गई कार्यवाही संदिग्ध है। घटनास्थल पर सील किए गए माल का नमूना मोहर भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटनास्थल पर पुलिस पार्टी खदान से होते हुए गई अथवा खेत से होते हुए गई, यह भी अभियोजन स्पष्ट नहीं कर सका है। पुलिस पार्टी के द्वारा घटनास्थल पर अभियुक्तगण द्वारा डकैती की योजना बनाना बनाते हुए सुना जाना संदिग्ध है। अभियुक्त जहांगीर का घटनास्थल से भगाने के उपरांत पकड़े जाना संदिग्ध है। फर्द बरामदगी पर प्रत्येक अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। फर्द बरामदगी के पृष्ठ पर हस्ताक्षर के संबंध में अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिए गए बयान का समर्थन, फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–4** से नहीं हो रहा है। घटनास्थल के संबंध में अभियोजन साक्षीगण के बयान नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–5** का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मुखबिर द्वारा पुलिस पार्टी के समस्त सदस्यों को सूचना दी गई अथवा केवल वादी मुकदमा को, यह अभियोजन स्पष्ट नहीं कर सका है। मुखबिर द्वारा सूचना सुल्तानपुर बाईपास पर दी गई अथवा थाने पर दी गई, इस संबंध में अभियोजन साक्षीगण के बयान भिन्न–भिन्न हैं। इस प्रकार अभियोजन, अवधार्य बिंदु को साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन अपने कथानक को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण द्वारा चुराई हुई संपत्ति को छुपाना संदिग्ध है।

53. अभियुक्तगण **जहांगीर व इकराम**, सत्र परीक्षण संख्या–289 **सन्** 2018 मुकदमा अपराध संख्या– 329 **सन्** 2015 आरोप अंतर्गत धारा–399 **व** 402 **भारतीय दंड संहिता** थाना **चिलकाना** जिला सहारनपुर में दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

54. अभियुक्त **सोहन (सोहनपाल)**, सत्र परीक्षण संख्या–290 **सन्** 2018 मुकदमा अपराध संख्या–329 **सन्** 2015 आरोप अंतर्गत धारा–399 **व** 402 **भारतीय दंड संहिता** थाना **चिलकाना** जिला सहारनपुर में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

55. अभियुक्तगण **जहांगीर, इकराम व सोहन (सोहनपाल)**, सत्र परीक्षण संख्या–291 **सन्** 2018 मुकदमा अपराध संख्या–334 **सन्** 2015 आरोप अंतर्गत धारा–414 **भारतीय दंड संहिता** थाना **चिलकाना** जिला सहारनपुर में दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **जहांगीर** तथा **इकराम** को सत्र परीक्षण संख्या–289 **सन्** 2018 मुकदमा अपराध संख्या–329 **सन्** 2015 में आरोप अंतर्गत धारा–399 **व** 402 **भारतीय दंड संहिता** थाना **चिलकाना** जिला सहारनपुर से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त **सोहन (सोहनपाल)** को सत्र परीक्षण संख्या–**290** **सन्** 2018

मुकदमा अपराध संख्या–**329 सन् 2015** में आरोप अंतर्गत धारा– **399 व 402 भारतीय दंड संहिता** थाना **चिलकाना** जिला सहारनपुर से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण **जहांगीर, इकराम** तथा **सोहन (सोहनपाल)** को सत्र परीक्षण संख्या–**291 सन् 2018** मुकदमा अपराध संख्या–**334 सन् 2015** में आरोप अंतर्गत धारा–**414 भारतीय दंड संहिता** थाना **चिलकाना** जिला सहारनपुर से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण **इकराम** तथा **सोहन (सोहनपाल)** जमानत पर हैं। अभियुक्त **जहांगीर** अन्य वाद से कारागार से तलब होकर न्यायालय उपस्थित है। अभियुक्त जहाँगीर प्रस्तुत मामले में जमानत पर है। अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उसके जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

धारा–437A दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान हेतु अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूति अपील की अवधि के लिए तथा अपील होने की दशा पर माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाबत प्रभावी रहेगा।

प्रकरण में बरामदशुदा संपत्ति, अपील समय अवधि के पश्चात अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार विनिष्ट की जाए।

निर्णय की एक प्रति धारा– 365 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा–406 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत **जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर** को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

निर्णय की एक–एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या– 290 सन् 2018 तथा सत्र परीक्षण संख्या–291 सन् 2018 में रखी जाए।

दिनांक 20.08.2026

(संजय कुमार–V)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10, सहारनपुर।
(J.O. ID–UP1773)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 20.08.2026

(संजय कुमार–V)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10, सहारनपुर।
(J.O. ID–UP1773)

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.08.21 10:04:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court